आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मैनपुरी,तहसील :भोगांव
वाद संख्या :-3160/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202201490303160
चौ0 जे0वी0 सिंह महाविद्यालय प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा–तरावादेव
परगना बेवर
तहसील भोगॉव

छायाप्रति निर्णय आदेश दिनांक 22/6/22

चौ0 जे0वी0 सिंह महाविद्यालय प्रबन्धक देवेन्द्र कुमार पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी नन्दुलिया तहसील किशनी जिला मैनपुरी की ग्राम तरावादेव की गाटा संख्या 335/0.628 हे0 में से रकवा 0.496 हे0 व गाटा संख्या 336/0.619 हे0 में से 0.496 हे0 व गाटा संख्या 337/1.602 हे0 में से 0.032 हे0 वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, उक्त अंश पर कृषि कार्य उद्यानीकरण पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि नही किया जाता है। वादी उक्त भूमि महाविद्यालय के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लेना चाहते है। अतः वादी की भूमि महाविद्यालय के प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित की जाये।

प्रार्थना पत्र की तहसीलदार भोगॉव से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार भोगॉव की आख्या दिनांक 20.06.2022 के अनुसार ग्राम तरावादेव की गाटा संख्या 335/0.628 हे0 में से रकवा 0.496 हे0 व गाटा संख्या 336/0.619 हे0 में से 0.496 हे0 व गाटा संख्या 337/1.602 हे0 में से 0.032 हे0 कृषि कार्य नही हो रहा है। वादी उक्त भूमि विद्यालय के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लेना चाहता है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। सहखातेदारो का शपथ पत्र इस आशय का संलग्न है कि उन्हे आबादी घोषित कराने में कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार भोगॉव की आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार भोगॉव की आख्या दिनांक 20.06.2022 के अनुसार वादीय भूमि कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। वादी द्वारा तहसीलदार भोगॉव की आख्यानुसार निर्धारित सर्किल रेट का 01 प्रतिशत रू0 25600.00 चालान संख्या 0077/15.06.2022 एवं 25600.00 रू0 के जुडिशियल स्टाम्प संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार भोगॉव की आख्या दिनांक 20.06.2022 से सहमत होते हुये निम्नांकित विवरण वाली भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित करते हुये लगान मुक्त की जाती है। यदि भूमिधर इस अधिनियम की उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार भोगॉव व उपनिबंधक भोगॉव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।